न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छिंदबाडा

I/अपील/छिन्दवाडा/आ०अ/2017/6124

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

2– उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता जबलपुर

3– सहायक आबकारी आयुक्त जिला छिंदबाडा

4– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन

.... प्रत्यर्थीगण

श्री .... 15.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4.1.18 नियत।

15-12-17

रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/3162 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

15/12/17

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

यहकि, अपीलार्थी कम्पनी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन को वर्ष 2015–16 में क्षेत्र छिंदबाड़ा में देशी मदिरा प्रदाय हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2014–15/1153/30.03.2015 से लायसेंस स्वीकृत किया गया था।

2– यहकि, सहायक आबकारी आयुक्त जिला छिंदबाडा के पत्र क्रमांक आब/आस/03/2016/1450 दिनांक 22.09.2016 के माध्यम से अवगत कराया है। कि जिला छिंदबाडा के स्टोरेज मद्य भाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय की समतुल भरी हुयी बोतल बंद देशी मदिरा का संग्रह अवधि माह अप्रैल 2015 से माह 2016 तक नहीं रखा गया जिससे चालान पेन्डिग नहीं रहें। इस प्रकार आलोच्य अवधि 309 दिवस बोतल बंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध नही रखा गया। यद्यपि इन 309 दिन दिवस मे देशी मदिरा के चालान लम्बित् नहीं रहे जबकि संविदाकार को स्टोरेज मद्य भाण्डागार में बोतल बंद देशी मदिरा के प्रदाय के 5 दिवस समतुल निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना अनिवार्य है।

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/अपील/छिंदवाड़ा/आब./2017/6124 **जिला** – छिंदवाड़ा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आबकारी आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरुद्ध दिनांक 15.12.2017 को पेश हुई है, जो प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य है। विलंब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.06.2017 की सूचना उन्हें 29.11.2017 को दी गई थी, परंतु अपने उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	